प्रेस नोट-थाना जैतीपुर

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 12.08.2026

थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर महोदय श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में वांछित/वारंटी एवं जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी/तलाश, अवैध शराब, शस्त्र, अफीम एवं चरस के बिक्री/निर्माण की रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.08.2026 को थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु भ्रमण/गश्त की जा रही थी। इसी दौरान बनखण्डी पुलिया की ओर से ग्राम नवादा की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर सकपकाकर पीछे मुड़कर बनखण्डी पुलिया की ओर जाने लगा । संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर एकबारगी दबिश देकर बनखण्डी पुलिया से करीब 50 कदम पहले ग्राम नवादा की ओर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

अभियुक्त को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए नियमानुसार उसकी जामा तलाशी ली गई। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम हरिओम पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम खल्लपुर, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली, उम्र करीब 26 वर्ष बताया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त द्वारा पहने गए काले लोअर की बायीं जेब से एक पारदर्शी पन्नी में काला पदार्थ (अफीम) बरामद हुआ । अभियुक्त की दाहिनी जेब से VIVO कम्पनी का मोबाइल फोन, IMEI नं0 864245060867096 एवं 864245060867088, सिम नं0 8126141458 तथा ₹120/- नगद बरामद हुए।

बरामद मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह झारखण्ड से आने-जाने वाले ट्रकों से अफीम खरीदकर अन्य ट्रक चालकों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को घूम-घूमकर महंगे दामों में बेचता है तथा इसी से अपना खर्चा एवं जीवन-यापन करता है। आज भी वह उक्त अफीम को बेचने की फिराक में घूम रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया गया। अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 12.08.2026 को समय 11:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना जैतीपुर पर मु0अ0सं0 102/2026, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम हरिओम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिओम पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम खल्लपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 12.08.2026 को समय 11.45 बजे थाना क्षेत्र जैतीपुर में बनखण्डी पुलिया से 50 कदम पहले ग्राम नवादा की ओर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 102/2026 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

1. 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (अफीम)
2. 01 अदद मोबाइल VIVO कम्पनी
3. 120 रूपये/-

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री रामेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
2. श्री इतेश तोमर उप निरीक्षक थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
3. हे0का0 400 अजय राना थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 1802 नवीन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।